पत्रांक–3 / न्याय–01–16 / 2017

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

654(3)

प्रेषक,

जगदीश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ई–मेल / फैक्स

सेवा में,

अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना / प्राचार्य, नालंदा चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, पटना / अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, भागलपुर ।
सिविल सर्जन, आरा / सारण / जहानाबाद / लखीसराय / शिवहर / पूर्वी चम्पारण / मुजफ्फरपुर / प0 चम्पारण / गया / नालंदा / वैशाली / पूर्णियाँ / सुपौल / दरभंगा / अररिया / भागलपुर / बॉका / खगड़िया / कटिहार / सहरसा / पटना / नवादा / समस्तीपुर ।
राज्य स्वास्थ्य शिक्षा पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा व्यूरो (शेखपुरा, पटना) ।
क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल पटना / मगध प्रमंडल गया ।
प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा, पटना ।
अपर निदेशक, टी0बी0डी0सी0, दरभंगा ।
क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, पटना।
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण / अररिया / भागलपुर / आरा / मधुबनी / कटिहार / पटना / बेगूसराय ।
अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक : 06.11.17

विषयः स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 243(3) दिनांक 22.05.2017 एवं 363(3) दिनांक 10.07.2017 के आलोक में संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों का उपलब्ध कराये गये शपथनामा के आलोक में महालेखाकार / वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के अन्तर का प्राधिकार पत्र के आलोक में भुगतान संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः अवमाननावाद सं0 1674 / 2012 में दिनांक 26.04.2017 को पारित न्यायादेश का अनुपालन ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में 62 वर्ष में वार्धक्य सेवा निवृत चिकित्सकों को 65 वर्ष की सेवा अवधि का लाभ देने संबंधी विभागीय पत्रांक 396(3) दिनांक 28.07.2017 से 19 (उन्नीस), 445(3) दिनांक 10.08.2017 से 32(बत्तीस), 497(3) दिनांक 25.08.17 से 10 (दस), 558(3) दिनांक 21.09.17 से 01(एक), 559(3) दिनांक 21.09.17 से 05(पॉच), 583(3) दिनांक 04.10.2017 से 02(दो) तथा 595(3) दिनांक 06.10.2017 से 01(एक) अबतक कुल 69(उन्हत्तर) चिकित्सकों से प्राप्त शपथनामा महालेखाकार / वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना भेजा गया, जिसकी सूची विभागीय पत्रांक–608(3) दिनांक 13.10.17 से आपको उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त सूची विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है ।

उक्त चिकित्सकों का महालेखाकार / वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा अंतर अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान संबंधी प्राधिकार पत्र निर्गत कर संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भेजा जा रहा है एवं प्रतिलिपि संबंधित चिकित्सों को भी दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि महालेखाकार/वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा अंतर अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान संबंधी प्राधिकार पत्र के आलोक में भुगतान संबंधी सूचना विभाग को तीन दिनों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः 654 (3) /स्वा0, पटना, दिनांकः 06.11.17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि संबंधित जिन चिकित्सों का अंतर अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के सम्तुल्य नगद राशि के भुगतान संबंधी प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं किया गया है, उनका प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करते हुये संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भेजा जाय।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/11/17

विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Old System Data\New folder\2017\Latter & Order-2017.docx